राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :–48/2025

दीपक कुमार शर्मा —**अपीलार्थी**

बनाम

1. मुख्य शासन सचिव, गृह, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, गृह, ग्रुप–7, राजस्थान, जयपुर।
3. महानिदेशक एवं मुख्य समादेष्टा, गृह रक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. उप शासन सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह, जयपुर।

—**प्रत्यर्थीगण**

प्रस्तुत करने की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री इन्द्रजीत यादव, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : लेखराज तोसावड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप कमांडेड के पद पर गृह रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान से गृह रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़ में किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–4) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा स्थानान्तरण नीति के बिन्दु न. 2.1 के अनुसार किसी कर्मचारी को उसकी पदस्थापन तिथि से दो वर्ष के भीतर स्थानान्तरण नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी वर्तमान पद पर दिनांक 05.08.2024 से कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध आलौच्य आदेश जारी किया है, जो विधि–विरूद्ध एवं मनमाना है। अतः अपील अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 को अपास्त

किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर निरन्तर कार्य करने दिया जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एंव स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

4. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी उप कमांडेड के पद पर गृह रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, करौली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से गृह रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, झालावाड़ में राज्यहित में किया गया है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह अपने किस कार्मिक की सेवाएं प्रशासनिक आवश्यकताओं में किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में अधिकरण द्वारा तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि लिया गया निर्णय विधि–विरूद्ध तरीके से पारित किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र पर खारिज की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य